प्रकरण संख्या :– 01/2020

दायर दिनांक:– 08.

फैसला दिनांक:– 02.

1. श्री रमेशचन्द्र पुत्र पूंजा डांगी जाति–पटेल उम्र–बालिग पेशा–कृषि निवासी–नगर हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

बनाम

1. श्री देवीलाल पुत्र पूंजा डांगी जाति–पटेल उम्र–बालिग पेशा–कृषि निवासी–नगर हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मंगली पत्नी पूंजा डांगी जाति–पटेल उम्र–बालिग पेशा–कृषि निवासी–पटवार हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री सोमा पुत्र लाला डांगी जाति–पटेल उम्र–बालिग पेशा–कृषि निवासी–नगर हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री हीरा पुत्र लाला डांगी जाति–पटेल उम्र–बालिग पेशा–कृषि निवासी–नगर हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 19

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–

श्री हिम्मतसिहं गरासिया

–:: निर्णय ::–

एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि मौजा ग्राम नगर पटवार हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जि उदयपुर मे स्थित जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता संख्या नई 84 पुरानी 93 कुल किता कुल रकबा 0.5100 हैक्टर स्थित है जिसकी आराजीयात का विवरण निम्नानुसार है –

खाता संख्या	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा (
नई 84 पुरानी 93	देवीलाल पुत्र पूंजा 1/9, बाबूलाल पुत्र पूंजा 1/9, मंगली पत्नी पूंजा 1/9, सोमा पुत्र लाला 1/3, हिरा पुत्र लाला 1/3	2024	0.0400
		2025	0.0100
		2040	0.0900

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 01/2020

दायर दिनांकः– 08.

फैसल दिनांकः– 02.0

1. श्री रमेशचन्द्र पुत्र पूंजा डांगी जाति–पटेल उम्र–बालिग पेशा–कृषि निवासी–नगर हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

बनाम

1. श्री देवीलाल पुत्र पूंजा डांगी जाति–पटेल उम्र–बालिग पेशा–कृषि निवासी–नगर हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मंगली पत्नी पूंजा डांगी जाति–पटेल उम्र–बालिग पेशा–कृषि निवासी– पटवार हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री सोमा पुत्र लाला डांगी जाति–पटेल उम्र–बालिग पेशा–कृषि निवासी–नगर हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री हीरा पुत्र लाला डांगी जाति–पटेल उम्र–बालिग पेशा–कृषि निवासी–नगर हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 19</u>

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–

श्री हिम्मतसिहं गरासिया

–:: निर्णय ::–

एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि मौजा ग्राम नगर पटवार हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जि उदयपुर मे स्थित जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता संख्या नई 84 पुरानी 93 कुल किता कुल रकबा 0.5100 हैक्टर स्थित है जिसकी आराजीयात का विवरण निम्नानुसार है –

खाता संख्या	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा (
नई 84 पुरानी 93	देवीलाल पुत्र पूंजा 1/9, बाबूलाल पुत्र पूंजा 1/9, मंगली पत्नी पूंजा 1/9, सोमा पुत्र लाला 1/3, हिरा पुत्र लाला 1/3	2024	0.0400
		2025	0.0100
		2040	0.0900

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

		729	0.0900
		730	0.0500
		775	0.0600
		776	0.0600
		777	0.0500
		778	0.0400
		780	0.0200

कुल किता 10 रकबा 0.5100 हैक्टर

उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी का नाम बाबुलाल पिता पूंजा का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक नाम रमेशचन्द्र पिता पुंजा जाति–डांगी निवासी–नगर तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर है। उक्त राजस्व खाते में नामान्तकरण इन्द्राज करते समय भूलवंश व त्रुटियूक्त बाबुलाल पिता पूंजा दर्ज हो गया है। प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण खोलते समय त्रुटि हो गई है जिस कारण से प्रार्थी को अनेक समस्याओं का सामाना करना पड रहा है प्रार्थी अपने गलत नाम अंकित हो जाने से राज्य सरकार के लाभों एवं अपने पुत्र पुत्रीयों के प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज बनवाने में समस्याओं का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम रमेशचन्द्र पिता पूंजा है। जिसका शुद्विकरण किया जाना न्यायहित है। राजस्व रेकार्ड में उक्त प्रकार की त्रुटी का शुद्विकरण किया जावे उक्त खाते में प्रार्थी का 1/9 हिस्सा नीहित है तथा उक्त प्रकार की त्रुटी के सुधार से किसी अन्य पर किसी प्रकार का प्रतिकुल प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादी संख्या 01 प्रार्थी का सगा भाई एवं विपक्षी संख्या 02 प्रार्थी की माता है।

बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थीगणों के वकील ने पहचान संबंधी आधारकार्ड, आयकार विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड, प्रार्थी स्वंय का पासपोर्ट आदि सरकारी दस्तावेज पेश किये जिसमें प्रार्थी का नाम रमेशचन्द्र पिता पूंजा अंकित है। अतः सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन बहस एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा ग्राम नगर पटवार हल्का डेरी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर मे स्थित जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता संख्या नई 84 पुरानी 93 में प्रार्थी का नाम बाबुलाल पुत्र पुंजा के स्थान पर रमेशचन्द्र पुत्र पुंजा दर्ज किये जाने का आदेश जारी किया जाता है। तहसीलदार खेरवाडा निर्णय अनुसार पालना करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार हो नम्बर से कम होवे।